प्रेस विज्ञप्ति

30.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 29.07.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नागपुर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डाक विभाग के उप डाकपाल लक्ष्मण हेम्ब्रम के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 29.07.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने लक्ष्मण हेम्ब्रम के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मोयना पुलिस स्टेशन, पूर्बा मेदिनीपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि 2014 से 2018 की अवधि के दौरान, लक्ष्मण हेम्ब्रम खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर करके सावधि जमा (टीडी) खातों को समय से पहले/अंतिम रूप से बंद कर देता था और उन टीडी खातों की समयपूर्व राशि/परिपक्वता आय को उन खाताधारकों की जानकारी के बिना उन्हीं खाताधारकों के बचत खातों (एसबी) में स्थानांतरित कर देता था। इसके बाद वह खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर करके उन खातों से फिर से धोखाधड़ी से निकासी के माध्यम से उक्त राशि को उनके एसबी खातों से निकाल लेता था और इनमें से किसी भी निकासी का उल्लेख जमाकर्ताओं की संबंधित पासबुक में नहीं पाया गया। गबन की गई राशि 4.49 करोड़ रुपये थी, जिसका उपयोग लक्ष्मण हेम्ब्रम ने अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया। उसने लाभ कमाने के लिए अन्य व्यवसायों में निवेश करने के लिए भी धन का डायवर्ट किया।

इससे पहले ईडी ने लक्ष्मण हेम्ब्रम के आवासीय ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था और धोखाधड़ी में उनकी संलिप्तता से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज, 5.25 लाख रुपये नकद और 5.97 लाख रुपये का बैंक बैलेंस बरामद किया था और उन्हें जब्त/फ्रीज कर दिया था।

आगे की जाँच के दौरान, एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें लक्ष्मण हेम्ब्रम से संबंधित 3.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियाँ कुर्क की गई थीं, जिसकी बाद में विद्वान न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा पुष्टि की गई।